भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1634

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

कोयले के नए भंडारों का पता लगाया जाना

1634. श्री नीरज डांगी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोयले के नए भंडारों का पता लगाने के लिए कोई नीति तैयार कर रही है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में कोयले की खपत और उपयोग को विनियमित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) कोयले की खपत को यथावत् बनाए रखने के लिए कोयले की किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए किए गए नीतिगत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : देश में कोयले के नए भंडार का पता लगाने के लिए "कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण" की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत संवर्द्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण नामक एक उप-स्कीम है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सीएसएस) द्वारा वित्तपोषण के माध्यम से क्षेत्रीय कोयला ब्लॉकों में की गई ड्रिलिंग की कुल लंबाई नीचे तालिका में दी गई है-

वित्तीय वर्ष	ड्रिलिंग मीटरेज (लाख मी.)
2020-21	1.12
2021-22	1.55

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा जोड़े गए कुल नए कोयला संसाधन नीचे तालिका में दिए गए हैं-

वित्तीय वर्ष	कोयला संसाधन (बिलियन टन)
2020-21	1.33
2021-22	5.71

सीएमपीडीआईएल ने 2021-22 से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से कोयले के नए भंडार का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण भी शुरू किया है। सीएमपीडीआईएल ने 2021-22 के दौरान एनएमईटी द्वारा वित्त पोषण के जरिए 0.025 लाख मीटर ड्रिलिंग की है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) नए कोयला संसाधनों की पहचान के लिए खान मंत्रालय के तहत कोयले का क्षेत्रीय अन्वेषण भी कर रहा है।

(ख) और (ग) : राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला / लिग्नाइट की बिक्री के लिए कोयला और लिग्नाइट खानों / ब्लॉकों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली 28.05.2020 को जारी की गई है और दिनांक 24.11.2021 के आदेश के तहत संशोधित की गई है। कोयले की बिक्री के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी से बाजार में शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम कोयला उपलब्ध होगा।

इसके अलावा, कोयले के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख कदम शामिल हैं:

- कैप्टिव विद्युत परियोजनाओं सहित निजी पार्टियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी।
- राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी।
- खान से जुड़े अन्त्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद 50 प्रतिशत तक कैप्टिव खानों के कोयले या लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति।
- वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)।

*****